

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी  
जोडा बनाम मोहन कौर  
 किस्म मुकदमा अमलदशमद नं. 02/83/2021 सन्.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10-2-2021	सरिफ की रिपोर्ट केरु इजराय पेश हुए वकील डिडीकर उपस्थित इजराय दर्ज शर्तशुह हो। TPR इन्टर को लखेर राजस रिफाई में अमल दशमद करे जाये हो। इन्टर पालन रिपोर्ट पत्रावली 8-4-21 को पेश हो।	पत्रावली 10-2-21
8-4-21	पत्रावली पेश हुए इन्टर पालन रिपोर्ट TPR पत्रावली 27-5-21 को पेश हो।	
27-5-21	पत्रावली पेश हुए <del>अभिभाषक उभाव मध</del> उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तैयारी रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषण कन्डोलेंस पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 27-5-21 को पेश हों।	कोविड-19
22-7-21	पत्रावली पेश हुए वकील डिडीकर उपस्थित मात्रा TPR लावेगी के पत्राक 623 दिनांक 20-7-21 से डिडी की पालन होकर स्कूल जमावरी समक 2015-78 में रकता से 137 ग्राम कम्पायता तहसील इन्टर दर्ज हो युक्त हो पत्राक जमावरी इजाजत पत्रावली की गठ पत्रावली पर शेष कार्यवाही नही होने से फरद शुमार होकर कारिवल कपूर हो।	QR Code

उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी (बन्दी)

(Civil Procedure Code Appendix D)

उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... लाखेरी .....  
 श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.) .....  
 आ० सुमेरनन्द जाति गुसाई निवासी चहिचा ... बनाम.. 1. मोहन आ० सुमेरनन्द जाति गुसाई  
 निवासी चहिचा .....  
 इन्द्रगढ, जिला बून्दी ..... 2. सुरेन्द्र आ० बच्चूनन्द जाति गुसाई  
 निवासी चहिचा इन्द्रगढ(बून्दी) PTO  
 वादगण ..... प्रतिवादीगण..  
 दावा बाबत..88,89, आर० टी० एक्ट व 136 एल आर एक्ट.

मुकदमा नम्बर ..... 05 / दावा / 2017 ..... सन .....  
 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु ..... हमरे ..... व हाजिरी

सुरेश वर्मा एडवोकेट एडवोकेट ..... मिनजानिब मुद्ई रुबरु .....  
 मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि  
 दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेशित किया जाता है कि ख.न. 388 रकबा 0.  
 35 हेक्टर वाके ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज मोहन वल्द गोगा के स्थान से  
 वल्द शब्द को विलोपित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाकर मोहन गोगा वल्द सुमेरनन्द  
 दर्ज किया जावे तथा वादी को हिस्सा 1/3 का खालेदार कृषक घोषित किया जाता है।  
 निज ..... मुबलिग .....

बाबत ..... खर्चा इन मुकदमें के मय सूद बशरह .....  
 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....  
 का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... 28 ..... माह ..... 10 ..... सन .....  
 2020 ..... को जारी की गई।

दस्ताखत ओहदा

मुहर

मुद्ई	रुपया	पैसे	मुद्दालह	रुपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महनताना वकील		
4. महनताना वकील			4. खर्चा गवाहान		
5. खर्चा गवाहान			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

मिलान किया  
 सुना  
 पक्ष  
 रा. गजरा

सत्यापित प्रतिलिपि  
 उपखण्ड अधिकारी  
 लाखेरी जिला बून्दी



770 PAGE-

3- नरयण आठ बच्चूनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ, जिला

राज

4- सरखंक भाई 10 वर्ष आठ बच्चूनन्द जाति गुसाई नाबालिग जयें सरखंक भाई

गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी

राज

5- रामजी आठ बच्चूनन्द जाति गुसाई निवासी चहिंचा तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी

राज

6- राज सरकार जयें तहसीलदार इन्द्रगढ, जिला बून्दी राज

जा

प्रतिष्ठादीसम्पन्न

मिलान किया

पक्ष

सुना

रा. मजद

प्रत्यापित प्रतिलिखित

अपक्ष अधिकारी  
अध्यायक जिला बून्दी



नकल आवदन एस्तत होने की दिनांक 28-10-20

नकल से पर करने का दिनांक 28-11-20

नकल देने की दिनांक 1-1-21

कापिंग फीस : 2 = 0 0